न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान सुनीता कंवर आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या 235/2025

निर्णय दिनांक 21/07/2025

1. सुनिता कंवर पत्नी भैरोसिंह जाति राजपूत निवासी अग्रसैन नगर डी 144 चूरू
2. ममता कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा तोगावास पटवार हल्का तोगावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 328 के खसरा सं. 852/763 तादादी 0.2529 हैक्ट., ख.नं. 854/764 तादादी 1.5174 हैक्ट., ख.नं. 856/853 तादादी 0.1265 हैक्ट., ख.नं. 858/855 तादादी 0.6323 हैक्ट. के खातेदार रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने संतोष कंवर पत्नी दौलसिंह से उक्त भूमि बैयनामा की और उक्त भूमि के खाता विभाजन के पश्चात प्रार्थीगण का मुताबिक दस्तावेज एवं मौके पर काब्ज काश्त सही है लेकिन ऑनलाईन तरमीम संलग्न दस्तावेज मुताबिक नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि खाता विभाजन के संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मुताबिक कब्जा काश्त के स्थान पर ही भूमि की तरमीम शुद्ध करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी ममता कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई एवं सुनिता कंवर पत्नी भैरोसिंह निवासी अग्रसेन नगर चूरू इतंकाल संख्या 1271 दिनांक 20.09.2016 में खाता विभाजन किया गया जो कि खाता संख्या पुराना 244 वर्तमान 328 में ख.नं. 852/763, 854/764, 856/853, 858/855 कुल तादादी 2.5291 तादादी है। असिचिंत भूमि राजस्व रिकार्ड तोगावास में किया गया मुताबिक दस्तावेज एवं मौके पर काबिज काश्तकार सही है लेकिन ऑनलाईन तरमीम संलग्न दस्तावेज मुताबिक नही है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। सही तरमीम नजरी नक्शे द्वारा दर्शायी गई है जिसे सही किये जाने की अभिशंषा की जाती है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पटवार हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाता विभाजन में तरमीम गलत पायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाता विभाजन में तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि मौजा तोगावास पटवार हल्का तोगावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 328 के खसरा सं. 852/763 तादादी 0.2529 हैक्ट., ख.नं. 854/764 तादादी 1.5174 हैक्ट., ख.नं. 856/853 तादादी 0.1265 हैक्ट., ख.नं. 858/855 तादादी 0.6323 हैक्ट. भूमि के संलग्न नक्शे में अंकितानुसार मुताबिक कब्जा काश्त के स्थान पर ही भूमि की तरमीम शुद्ध की जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)